छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492002

–: अधिसूचना :–

नवा रायपुर, दिनांक 16/06/2020

क्र./2976/एफ–02/01/PMFBY/2020/14–2 : भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 25.04.2018 एवं पत्र क्र. 13015/02/2015 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 के खरीफ एवं रबी मौसम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :–

1. **अधिसूचित फसल :–**

मौसम	फसल	
खरीफ	**मुख्य फसल**	धान सिंचित एवं धान असिंचित
	अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द
रबी	**मुख्य फसल**	चना
	अन्य फसल	गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसो एवं अलसी

2. **बीमा इकाई एवं अधिसूचित क्षेत्र :–**

योजनांतर्गत खरीफ एवं रबी मौसम की सभी अधिसूचित फसलों हेतु बीमा इकाई "ग्राम" निर्धारित किया गया है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई मे अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत, ग्राम (बीमा इकाई) का नाम, ग्राम कोड एवं अधिसूचित फसल का विवरण अंग्रेजी भाषा में **परिशिष्ट – 1** पर है।

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :–**

इस योजना में ऋणी कृषक (भू–धारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू–धारक व बटाईदार) शामिल हो सकते है।

(क) ऋणी कृषक :– योजना ऋणी कृषकों के लिये विकल्प चयन (opt-out) आधार पर कियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन (opt-out) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की चूक/त्रुटि होने पर संबंधित बैंक किसानों के स्वीकार्य दावों के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(ख) **अऋणी** कृषक :– अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। इस हेतु कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई की पुष्टि का प्रमाण–पत्र जो क्षेत्रीय ग्रा.कृ.वि.अधिकारी द्वारा सत्यापित हो सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

कृषक अपने कृषि योग्य भूमि पर अधिसूचित फसल/फसलों के लिए केवल एक बार बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। दूसरे शब्दों में योजनांतर्गत एक ही रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं है। एक ही रकबा का एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में बीमा कंपनी के पास ऐसे सभी दावों को निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि को वापस किया जावेगा।

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–**

मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिए निविदा के आधार पर कलस्टरवार, जिलेवार चयनित बीमा कंपनियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	कल. क्र.	जिला	चयनित बीमा कंपनी
i.	1	राजनांदगांव, सरगुजा, कोण्डागांव, मुंगेली एवं नारायणपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.
ii.	2	बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग एवं कोरबा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.
iii.	3	बालोद, कोरिया, महासमुंद एवं धमतरी	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.
iv.	4	जशपुर, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर बीजापुर, रायपुर, कबीरधाम एवं गौरेला–पेण्ड्र – मरवाही	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
v.	5	कांकेर, रायगढ, दन्तेवाड़ा, सूरजपुर, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा एवं सुकमा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.

5. **जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :–**

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में निम्नानुसार वर्णित जोखिमों हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा –

(क) **बाधित रोपाई/रोपण जोखिम** : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई/रोपण/अंकुरण न हो पाने से होने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) **स्थानीयकृत आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल को छोड़कर), बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सूखाने अथवा छोटे–छोटे बंडलो में बांध कर रखे हुए फसल को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) **सामान्य अपवर्जन** : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानि, दुर्भावना–जनित क्षति और अन्य निवारणीय जोखिम इसमें शामिल नही है।

6. **क्षति स्तर :–**

योजनांतर्गत **खरीफ फसल** धान सिंचित फसल में 90% व धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द फसल हेतु 80% क्षति स्तर निर्धारित की गई है। **रबी फसल** चना फसल में 90% व गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी फसल हेतु 80% क्षति स्तर होगा।

7. **थ्रेसहोल्ड उपज :–**

खरीफ फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, एवं उड़द फसल हेतु विगत वर्ष 2013 से 2019 तक एवं तुअर (अरहर) फसल हेतु वर्ष 2012 से 2018 तक के उपज आंकड़े और रबी फसल चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी हेतु विगत वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक के 07 वर्ष के उपज आंकड़े में से 02 वर्ष के न्यूनतम उपज आंकड़ों को छोड़कर शेष 05 वर्षों के औसत आंकड़ों के आधार पर बीमा इकाईवार थ्रेसहोल्ड उपज की गणना की गई है। कियान्वयन अवधि के लिए जिलेवार, अधिसूचित बीमा इकाई, फसलवार निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी **परिशिष्ट–2** पर है।

यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में थ्रेशहोल्ड उपज की जानकारी उपलब्ध ना हो, तो उक्त अधिसूचित बीमा इकाई के निकटतम इकाई के उपज के आंकडे अथवा निकटतम इकाई के उपज आंकडे उपलब्ध ना हो, तो उच्च इकाई के उपज आंकडों का उपयोग कर दावा गणना की जावेगी।

8. **बीमित राशि :–**

मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2020–21 में ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान सीमा (Scale of Finance) **परिशिष्ट–3** के अनुसार होगी। आगामी वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए बीमित राशि की अधिसूचना पृथक से जारी की जावेगी।

9. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :–**

खरीफ फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग, एवं उड़द हेतु कृषक द्वारा बीमित राशि का अधिकतम 02 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो, प्रीमियम के रुप में वहन किया जायेगा। **रबी फसल** चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी हेतु कृषक द्वारा बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो, प्रीमियम के रुप में वहन किया जायेगा।

शेष प्रीमियम की राशि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा योजना प्रावधानानुसार वहन किया जावेगा। अधिसूचित बीमा इकाई हेतु कलस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण **परिशिष्ट–3** पर है।

10. **विभिन्न गतिविधियों हेतु समय–सीमाः–**

योजनांतर्गत बीमा आवेदन की अंतिम तिथि खरीफ मौसम हेतु **15 जुलाई तथा रबी मौसम हेतु 15 दिसम्बर** निर्धारित है। योजनांतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों/कार्यवाहियों हेतु निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई हैः–